



Neutral Citation No. 2026:AHC:21477

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 277 / 2026

श्रीमती प्रमिला सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

मनोज कुमार साहू राम केर सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अनिरुद्ध शर्मा मुख्य स्थाई अधिवक्ता

रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशेष उपाध्याय प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध शर्मा की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री ओम आनंद राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगाँव सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सिंह की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका परमादेश जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह निर्देश दिया गया है कि वह पुनरीक्षण संख्या 802/2025 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल2025150600802) (श्रीमती प्रमिला सिंह बनाम राज्य उ० प्र० और अन्य) का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका 5.2.2025 से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाए तथा ऐसा करते समय कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"